भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1917

03 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

रेत खनन

1917. श्री मनोज तिवारीः
डॉ॰ विजय कुमार दूबेः
श्री रेबती त्रीपुराः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में रेत खनन गतिविधियों की निगरानी और इसे रोकने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश एवं पूर्वोत्तर का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अवैध रेत खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग) : राज्य सरकारें अपनी संबंधित सीमाओं के भीतर अवस्थित खनिजों की अभिरक्षक होती हैं। राज्य, खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत खनिज रियायतें प्रदान करते हैं। एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के अंतर्गत गौण खनिजों के लिए, खनिज रियायतें प्रदान करने, विनियमन और प्रशासन हेतु सभी नीति और विधान राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। चूंकि, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 3(ड.) के तहत बालू एक गौण खनिज है इसलिए देश में बालू की मांग एवं आपूर्ति संबंधी जानकारी को केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) : एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग में राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने और उससे जुड़े प्रयोजनों हेतु नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं।

*****